विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 759 दिनांक : 13-11-17

प्रति,

प्राचार्य,
ज्ञानोदय इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
ग्राम–कनावटी,तहसील+जिला–नीमच।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्ग अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता–निरंतरता आवेदन क्रमांक/102,दिनांक 10.04..2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता/सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु आदेशानुसार विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/120,दिनांक 13.09.2017 के द्वारा गठित गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.10.2017 में प्रस्तुत किया गया, जसमें लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर सत्र 2017–18 से आवेदित विषय की सम्बद्धता–निरंतरता अनुशंसानुसार प्रदान की जाती है।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	**पाठ्यक्रम**	**सीट संख्या**
01.	एम.बी.ए.	120

शर्ते :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.10.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. प्राचार्य एवं तीन सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति परिनियम क्रमांक 28 के तहत करायी जाये।
03. पुस्तकालय में न्यू एडिशन की प्रत्येक विषय हेतु 25–25 पुस्तकें क्रय कर रखी जाये।
04. इन्स्टीट्यूट के सभी ट्वालेट्स में उचित संख्या में एक्जास्ट फैन लगाये जाये। साफ सफाई हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
05. शुद्ध पेयजल हेतु एक ओर वाटर कूलर क्रय किया जाकर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
06. इन्स्टीट्यूट के भवन के पिछे रिक्त जमीन पर पौधारोपण कराये जाये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02